(10)

ACM आमेर मु.-जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी

बनाम

र्थना–पत्र / दावा संख्या...264.../ 2024 (24/2025)

क्रम स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि0वि0
	18/3/2025	प्र० आज पर पत्रावली SDO रामपुरा डाबड़ी से प्राप्त होने पर पेश हुई। दर्ज रजिस्टर हो। उभयपक्ष आगामी पेशी पर बहस करें। पत्रावली दिनांक 25/3/25 को पेश हो।	सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	25/3/25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/3/2025 को पेश हो।	
	27/3/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण की प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या-1 को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें तथा विवादित भू-भाग पर निर्माण नहीं करें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:31:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,

मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 24/2025 निर्णय दिनांक : 27.03.2025

लक्ष्मीनारायण पुत्र लालाराम पौत्र प्रभात जाति जाट निवासी ग्राम दतावता तहसील आमरे जिला जयपुर।

......प्रार्थी

बनाम

1. लालाराम पुत्र स्व. श्री प्रभात
2. मोहन पुत्र लालाराम पौत्र स्व. श्री प्रभात
3. श्रवण पुत्र लालाराम पौत्र स्व. श्री प्रभात
4. मुकेश पुत्र लालाराम पौत्र स्व. श्री प्रभात
5. कमली पुत्री लालाराम पौत्री स्व. श्री प्रभात
6. पलमा पुत्री लालाराम पौत्री स्व. श्री प्रभात
7. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री प्रभात
8. मंगल चन्द पुत्र स्व. श्री प्रभात
9. अर्जुन पुत्र गुल्लाराम
10. रतन पुत्र गुल्लाराम
11. बाबूलाल पुत्र गुल्लाराम

समस्त 01 लगायत 11 जाति जाट, निवासीगण ग्राम दतावता, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर
13. उप पंजीयन अधिकारी मुण्डोता, उप तहसील मुण्डोता, तहसील आमेर जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि कृषि भूमि ग्राम दतावता, पटवार हल्का चतरपुरा, भू0 अभिलेख क्षेत्र रोजदा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 11 राजस्व ग्राम दतावता तहसील आमेर जिला जयपुर के [illegible] सी है जो संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होकर प्रभात पुत्र भूरा के [illegible] है। प्रभात पुत्र भूरा की खातेदारी भूमि जरिये विरासत नामान्तरकरण [illegible] 18 दिनांक 28.06.2017 को अन्य के साथ प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 01 लालाराम पुत्र प्रभात के नाम खातेदारी में दर्ज हुई है, जिनकी पैतृक आराजी का विधिक विभाजन नही हुआ है। पैतृक आराजी मूल खसरा नम्बर 13/218 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23/260 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:31:00 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 26 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.80 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 2.47 हैक्टेयर भूमि ग्राम दतावता, पटवार हल्का चतरपुरा, भू0 अभिलेख क्षेत्र रोजदा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जो कि वादग्रस्त आराजी है, जिसे प्रार्थना पत्र की आगे की मदो में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित कि जायेगी। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 06 खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 के विधिक वारिसान है, जिनका पैतृक कृषि भूमि में जन्म से ही हक व अधिकार कानूनन निहित है तथा वादी ने वादग्रस्त आराजी में अपना पुख्ता मकान भी बना रखा है, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू विधि से शासित है, जिनका विधिक विभाजन नही हुआ है तथा प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 01 के अलावा अप्रार्थी संख्या 07 लगायत 11 मूल खातेदार प्रभात पुत्र भूरा के विधिक वारिसान है जिनका भी अभी तक विधिक विभाजन नही हुआ हैं। इसलिये प्रार्थी एव अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से उक्त वर्णित रकबा भूमि पर निरन्तर काबिज चलें आ रहे है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 01 लालाराम पुत्र प्रभात वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 04 मुकेश पुत्र लालाराम के प्रभाव व कहने में है, जिसके चलते अप्रार्थी संख्या 01 पैतृक वादग्रस्त आराजी में अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 भाग को अप्रार्थी संख्या 01 के नाम हस्तांतरित करना चाहते है। जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 06 से अपना हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा तो अप्रार्थी संख्या 04 ने ऐलानियां धमकी दी। इस कारण अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6, 11 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 29.07.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 07 लगायत 10 ने अपने जवाब प्रार्थना में अंकित किया है कि उक्त भूमि का पूर्व में न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर के द्वारा अपने वाद संख्या 55/2019 उनवान लालाराम बनाम ओमप्रकाश व अन्य प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जिला जयपुर द्वारा दिनांक 13/03/2020 को विभाजन की अन्तिम डिकी पारित की गई। जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील 149/2020 उनवानी लालाराम बनाम ओमप्रकाश पेश की, जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2020 को पारित किया गया, जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील संख्या 2020/5040 ओमप्रकाश बनाम लालाराम व अन्य विचाराधीन है। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:31:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

ने उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों को छुपाते हुये एवं मिन उत्तरदातागण को हैरान करने की गरज से उक्त वाद प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 ने आपस में मिलीभगत करके पेश किया है जो प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वाद बाबत घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है, प्रस्तुत तर्को, दस्तावेजो एवं जवाब के आधार पर विवादित आराजी पैतृक सम्पति प्रतीत होती है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अभिवचन अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 आराजी का बेचान करना/नाम हस्तांतरित करना चाहता है। यदि आराजी का बेचान अथवा हस्तांतरण किया जाता है तो प्रार्थी अपूरणीय क्षति होने की प्रबल आशंका है यदि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवादित आराजी पर जबरन कब्जा एवं निर्माण करते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी तथा मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष भीं प्रतीत होता है यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, परन्तु प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि अराजी खसरा नम्बर नम्बर 13/218 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23/260 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.80 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 2.47 हैक्टेयर भूमि ग्राम दतावता, पटवार हल्का चतरपुरा, भू0 अभिलेख क्षेत्र रोजदा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण नहीं करे। उक्त स्थगन आदेश अन्य अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 13 पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त उभयपक्ष के सरकारी योजनाओ के लाभ लेने पर लागू नहीं होगा। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर संलग्न मूल वाद हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:31:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर